

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक-एफ(4)/अधीनस्थ/ईओ/2020/4919

दिनांक:- 21/08/2020

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-एफ(4)/अधीनस्थ/ईओ/2020/4904-4910 दिनांक 20.08.2020 में अंकित "उपनिदेशक (आई.टी)" को "उपनिदेशक (एम.आई.एस.), एस.पी.एम.यू., एन.एच.पी." पढ़ा जावे।


आज्ञा से,


(संजय भाटिया),

अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन),
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ(4)/अधीनस्थ/ईओ/2020/4920-4925 दिनांक:- 21/08/2020
प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, जल संसाधन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राज. जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एम.आई.एस.), एस.पी.एम.यू., एन. एच. पी. को प्रेषित कर लेख है कि सुश्री रेशु सैकड़ा, सूचना सहायक के वेतन आहरण हेतु प्रत्येक माह की 20 तारीख तक, उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. सुश्री रेशु सैकड़ा, सूचना सहायक को पालनार्थ।
6. रक्षा पत्रावली।


(अतुल जैन),
आहरण एवं वितरण अधिकारी